लेबर एक्सप्रेस

(प्रवासी श्रमिकों व युवाओं की आजीविका की बेहतरी के लिए प्रयासरत)

अंक : 10 सितम्बर–नवम्बर 2011 निःशुल्क एवं निजी वितरण हेतु

अपनी बात

प्यारे साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का राम राम ! उम्मीद है आप सभी बरसात के मौसम का आनन्द ले रहे होंगे। इस बार आपको ढेर सारी नई जानकारियां देनी हैं। छोटी–छोटी मगर काम की बातें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बात काम की लगती हो या नहीं अगर मौका मिल रहा है तो ध्यान जरुर देना चाहिए। पता नहीं कौनसी बात कब, कहां काम आ जाए।

पहली बात, लेबरलाइन। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आप किसी मुसीबत में हैं। कहीं आपकी मजदूरी अटक गई हो। काम करते हुए बदकिस्मती से कोई दुर्घटना हो जाए। या फिर काम करते हुए आपके साथ कोई जबरदस्ती हो रही हो। आपको समझ नहीं आ रहा हो आप क्या करें ? किससे राय लें ? ऐसे में अगर आपके एक फोन पर घर बैठे सलाह मिल जाए तो कैसा रहे ? आप कह रहे होंगे ऐसा हो जाये तो क्या बात हो ? तो फिर विश्वास करिए लेबरलाइन ठीक उसी तरह की व्यवस्था है। लेबरलाइन की जानकारी इस अंक में जरुर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं।

दूसरी बात, आपको याद होगा पिछले साल इसी समय श्रम विभाग ने श्रमिक कल्याण बोर्ड में श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया था। एक साल में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पंजीकरण भी कराए हैं। बोर्ड ने बहुत पैसा भी जमा कर लिया है योजनाओं के लिए। अब बारी है योजनाओं का फायदा उठाने की। तो इस बार जरुर पढ़े कि बोर्ड की क्या योजनाएं हैं। योजनाओं का फायदा कैसे लिया जा सकता है ?

तीसरी बात, ये बात हमारे अपने व्यवहार से जुड़ी है। बरसात का मौसम है, वैसे तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है इस समय। लेकिन यह मौसम बीमारियों का भी होता है। काम की बात ये है कि साफ सुथरा पानी पीएं और खाना खाने से पहले हाथ जरुर धोएं। आप कहेंगे कि ये कौनसी नई बात है ? लेकिन अधिकतर लोग इस बात को जानते हुए भी इसका पालन नहीं करते। बीमार होकर बहुत सारा पैसा इलाज पर फूंक देते हैं। इस बार इस बात का ध्यान रखिए। देखिये, इस बार शायद आपको इलाज पर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना पड़े।

इस बार के 'लेबर एक्सप्रेस' में हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष खबरें हैं। नमस्ते।

डरो मत, फोन करो

0294–2451124

मुसीबत में फंसे मजदूरों के लिए लेबर लाइन शुरू

मजदूरों को आए दिन होने वाली परेशानियों से बचाव के लिए लेबर लाइन की शुरुआत हुई है। यह लेबर लाइन आजीविका ब्यूरो की कानूनी शिक्षण एवं पैरवी इकाई ने शुरू की है। इसका नंबर 0294—2451124 है। इस लेबर लाइन पर फोन करते ही मजदूर को निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मजदूर को कानूनी सहायता भी मिलेगी।

लेबर लाइन एक टेलिफोन आधारित सेवा है। यह सेवा बाजार में काम करने वाले श्रमिकों को उनके काम से जुडी समस्याओं व आपात स्थितियों में मदद करने के लिए है।

यह एक टेलिफोन नम्बर (0294— 2451124) है जिस पर जरुरत पड़ने पर कोई भी श्रमिक सम्पर्क कर सकता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयुक्त संस्था, पुलिस, श्रम विभाग आदि के पास भेजा जाएगा। श्रमिक के साथ मजदूरी भुगतान, दुर्घटना, गुमशुदगी एवं किसी भी प्रकार के शोषण की घटनाओं पर श्रमिक को परामर्श देना लेबर लाइन की प्राथमिकता है।

मालिक व मजदूर के बीच बढ़ते विवादों को देखते हुए लेबर लाइन एक मजबूत कदम है। श्रमिक कहीं भी रहकर अपने साथ हुए विवाद या समस्या पर उपयुक्त सलाह ले सकता है। लेबर लाइन से श्रमिकों को कानूनी जानकारियां भी दी जाएंगी।

अभी लेबर लाइन का प्रचार प्रसार दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर,राजसमन्द, बांसवाडा और प्रतापगढ़ जिलों में तथा जयपुर शहर में किया जाएगा। लेबर लाइन की सेवा सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। तो फोन करें 0294–2451124 नम्बर पर।

श्रम राज्यमंत्री ने दी बधाई

17 अगस्त को लेबर लाइन का उद्घाटन उदयपुर के साइफन चौराहे पर किया गया। इस मौके पर श्रम राज्य मंत्री मांगीलाल गरासिया ने जयपुर से लेबर लाइन के फोन पर मजदूरों व आजीविका ब्यूरो को बधाई दी। इन्होंने कहा कि यह लेबर लाइन असंगठित श्रमिकों के लिए वरदान की तरह है। इससे बाजार में असहाय श्रमिकों के लिए काम का सही माहौल बनेगा।

वहीं इंटक के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जगदीशराज श्रीमाली ने कहा कि श्रमिकों के हितों को लेकर सरकार का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। ऐसे में श्रमिकों को कल्याण के लिए स्वयं ही प्रयास करने होंगे। इस मौके पर सीटू के महासचिव व पार्षद राजेश सिंघवी ने भी खुशी जाहिर की व श्रमिकों के सामने अपने विचार रखे।

होने लगी आमदनी

बचपन में शरारती और रोज लड़ाइयां करने वाला प्रवीण आज हर महीने घर पर देता है पांच हजार रुपये। यही नहीं आज गांव का हर एक व्यक्ति उसकी तारीफ भी करता दिखाई देता है। प्रवीण में बदलाव आया तो आया कहां से ? उदयपुर जिले की खैरवाड़ा तहसील की सकलाल पंचायत के चित्तौडा गांव में रहता है प्रवीण सिंह चौहान। दसवीं तक पढ़ाई की है। पढ़ाई छोडने के बाद प्रवीण इधर–उधर भटकता रहता। घरवालों की डांट–फटकार भी सुनने को मिलती। कुछ दिन बाद प्रवीण प्राइवेट जीप पर कंडक्टर का काम करने लगा। इसके बदले में खर्चे के लिए उसे एक हजार रुपए मासिक मेहनताना मिलता। साल भर बाद प्रवीण खैरवाड़ा में मोटर रिवान्डिंग की दुकान पर काम सीखने लगा। दुकान मालिक दिनभर साफ–सफाई एवं छोटे–मोटे काम करवाता रहता। दुकानदार उसे मोटर वाइन्डिंग का काम नहीं सिखाता। लेकिन प्रवीण दुकान मालिक के काम को बड़े ध्यान से देखता। कुछ दिनों बाद प्रवीण भी मोटर वाइन्डिंग का कुछ काम सीख गया। पूरे एक साल तक प्रवीण ने यह काम किया। दुकान मालिक इसके बदले पगार के नाम पर कुछ भी नहीं देता।

इसी समय प्रवीण को आजीविका ब्यूरो द्वारा होने वाले प्रशिक्षण के बारे में मालूम चला। यह प्रशिक्षण बिजली फिटिंग कार्य सिखाने का था। प्रवीण ने तुरन्त खेरवाडा केन्द्र पर संपर्क कर अपना नाम लिखवा दिया। प्रशिक्षण के दौरान उसने मन लगाकर हाउस वायरिंग का काम सीखा। इसके साथ ही बाजार में काम कैसे किया जाता है। मालिक से व्यवहार कैसा करना है जैसी कई जीवन से जुड़ी हुई अच्छी बातें भी जानीं।

प्रशिक्षण के बाद ब्यूरो ने प्रवीण को नाथद्वारा में काम दिला दिया। प्रवीण को वहां महीने के तीन हजार रुपए और रहने व खाने की सुविधा मिलती। तीन महीने तक लगातार टिककर काम किया। प्रवीण का अब काम में हाथ भी काफी साफ हो चुका था। फिर प्रवीण ने अपने ठेकेदार से पगार बढ़ाने के लिए कहा। ठेकेदार ने पगार बढ़ाने में आनाकानी की तो प्रवीण काम छोडकर घर पर आ गया। प्रवीण घर के पास ही ठेके लेकर हाउस वायरिंग का काम करने लग गया।

कुछ दिनों बाद नाथद्वारा के ठेकेदार ने प्रवीण से वापस संपर्क किया। वह प्रवीण की पगार बढ़ाने पर भी राजी हो गया। ठेकेदार ने प्रवीण की पगार चार हजार पांच सौ रुपए कर दी। साथ में रहने–खाने की सुविधा भी। बस फिर क्या था प्रवीण वापस नाथद्वारा काम पर चला गया। इस ठेकेदार के पास काम करते हुए ही प्रवीण छोटे ठेके भी लेने लग गया। इस काम को वह सुबह–शाम में करता है। इससे वह दो से ढाई हजार रुपए अलग से कमा लेता है। अब प्रवीण महीने के छह से सात हजार रुपए कमा रहा है। यह सब उसकी मेहनत व लगन का ही नतीजा तो है।

सलूम्बर में उजाला फैलाती स्वास्थ्य किरणें

गांव में आपका बच्चा बीमार हो जाए। पत्नी मां बनने वाली हो, कोई देखभाल करने वाला नहीं हो। बच्चों को जरूरी टीके लगवाने हो। और आप दूर शहर में मजदूरी करने आए हों। तो आपको काम छोड़कर इलाज के लिए घर भागने की जरूरत नहीं है। ना ही कोई चिन्ता करें। ये सब जिम्मा ले लिया है गीता, दलुबाई, मोती, सज्जु, कालीबाई जैसी 30 जागरूक महिलाओं ने। ये सब आपके गांव की ही महिलाएं हैं। इनके परिवार से भी कोई ना कोई पुरुष बाहर मजदूरी करने गया हुआ है। ये ठीक से जानती हैं कि महिलाओं को गांव में किस–किस तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। मुश्किल तब और अधिक हो जाती है जब घर से पुरुष सदस्य शहर गए हों।

आजीविका ब्यूरो द्वारा उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील की 8 पंचायतों में ये पहल हुई है। ये पंचायतें हैं मालपुर, बूडेल, मातासुला, मानपुर, बनोडा जोधपुर खुर्द, आमलवा एवं कल्याणा कलां। ये ऐसी पंचायतें हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच काफी कमी है। दूसरा हर घर से कोई ना कोई आदमी गुजरात में मजदूरी के लिए गया हुआ है। घर में किसी के बीमार होने पर महिलाओं को इलाज के लिए दूर जाने में मुश्किल आती है। कई बार पास में प्राइवेट डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार मजदूर को इसी वजह से अपना काम छोड़कर घर लौटना पड़ता है। इस सबसे पसीने की कमाई तो डूबती ही है वहीं कोई तबियत में सुधार भी नहीं हो पाता।

इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए ये महिलाएं आगे आई हैं। ये घर–घर जाकर स्वास्थ्य की चेतना फैला रही हैं। इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है स्वास्थ्य किरण। स्वास्थ्य किरणों की खुद की स्वास्थ्य पर समझ बढ़े। महिलाओं के आम रोगों तथा उपचार व सावधानियों की जानकारी हो। साथ ही बच्चों के टीकाकरण का ज्ञान हो। ये सब जानकारी बढ़ाने में श्रमिक सहायता केन्द्र, सलूम्बर एवं उदयपुर की अनुभवी व प्रतिष्ठित 'अर्थ' नाम की संस्था का सहयोग इसमें महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य किरणें गांव की महिलाओं के समूह बनाती हैं। समूह की हर माह बैठक होती है। बैठक में मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीके बताए जाते हैं। साथ ही रोगी को सलाह दी जाती है। बुखार, पेट दर्द, बदन दर्द जैसे छोटे–छोटे रोगों की दवा भी स्वास्थ्य किरणें देती हैं। महिलाओं को आयरन एवं गर्भनिरोधक गोलियां उपलब्ध कराती हैं। गर्भवती महिलाओं को आंगनबाडी केन्द्र पर ले जाकर जांच एवं टीकाकरण करवाती हैं। बड़ी बीमारी होने पर स्वास्थ्य केन्द्र तक रोगी को पहुंचाने में मदद करती हैं। सरकारी अस्पताल में ले जाकर प्रसव करवाना और जननी सुरक्षा योजना की राशि दिलवाने में सहयोग भी स्वास्थ्य किरणें करती हैं।

स्वास्थ्य किरणें अपने इस काम से काफी खुश हैं। वे कहती हैं वे अपने गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाकर सेवा तो कर ही रही हैं। साथ ही खुद की भी जानकारी बढ़ रही है। गांव की महिलाएं भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही हैं। अब शहर से पुरुषों को काम छोड़कर गांव भागने की जरूरत नहीं है।

श्रमिक केन्द्र की यह शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन प्रभावी है। केन्द्र द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग रहा है। **–भगवती लाल जोशी व रणजीत सिंह**

आजीविका ब्यूरो में जून 2011 तक

श्रमिकों के पंजीयन व परिचय पत्र

60526

- ब्यूरो की सहयोगी संस्थाओं ने मिलकर देशभर में कुल 90,354 श्रमिकों को परिचय पत्र जारी किए हैं।
- भारत देश के 6 राज्यों में कुल 32 संस्थाएं मिलकर श्रमिक सहायता केन्द्रों को संचालन कर रही हैं।

जल रहे हैं साझे चूल्हे

केरोसीन व गैस के बढ़ते दामों ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया हो तो मजदूरों का क्या होगा। क्या यह अंदाजा लगाया जा सकता है ? गुजरात के अहमदाबाद शहर में ही करीब 7 लाख मजदूर राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से यहां आकर मजदूरी कर रहे हैं। केरोसीन व गैस मंहगी होने से इनकी सबसे बड़ी समस्या खाना बनाने की है।

एक अनुमान है कि मजदूरों की कमाई का 60 प्रतिशत भाग केवल खाने व मकान भाड़े में खर्च हो जाता है। इसके अलावा एक छोटे अंधेरे वाले कमरे में 4–5 लोग रहते हैं। वहीं खाना बनाने में केरोसीन का इस्तेमाल करते हैं। केरोसीन से निकलने वाली धुंआ व दुर्गन्ध स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है।

मजदूरों को स्वस्थ व सस्ता भोजन मिल पाए इसीलिए श्रमिक सहायता केन्द्र, अहमदाबाद ने सामुदायिक रसोई का एक नया तरीका निकाला है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कंपनी के सहयोग से रसोई तैयार की गई है। वाडज इलाके में कंपनी ने 4 गैस चूल्हे रखे हैं। यहां मजदूर आटा व कटी हुई सब्जी लाते हैं और खाना पकाते हैं। करीब 150 मजदूर इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। निर्माण काम करने वाले ये सभी उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के हैं।

वाडज में 4 से 5 मजदूर एक साथ मिलकर रहते हैं। इस रसोई का किराया आधे घंटे का 3 रुपए व एक घंटे का 5 रुपए है। इससे मजदूरों का ईंधन पर होने वाला खर्चा आधा हो गया है। यही नहीं केरोसीन की धुंआ से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से भी छुटकारा मिला है। साथ ही समय भी बच रहा है।

रसोई की बढ़ती मांग को देखते हुए अहमदाबाद शहर के 5 अन्य इलाकों में भी रसोई शुरू हो चुकी है। असलाली में 4 तथा नारोल में एक रसोई के जरिए करीब 350 मजदूर अपना खाना पका रहे हैं। कंपनी द्वारा खाली सिलेण्डर भरने की भी तुरन्त व्यवस्था बना रखी है।

"हम छह लोग मिलकर एक कमरे में रहते हैं। मेरा रोज 17 रुपए केरोसीन पर खर्च होता था। इस रसोई से अब मेरा खर्चा केवल 5 रुपए होता है। इससे अब मेरी बचत होने लगी है। मुझे यह रसोई बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मजदूर इस रसोई का फायदा लें।"

–भैरूलाल मीणा, श्रमिक, वाडज, अहमदाबाद

श्रमिक बोर्ड से लाभ उठाएं मजदूर

श्रमिक कल्याण बोर्ड में हजारों श्रमिकों के पंजीयन हो चुके हैं। श्रम विभाग व आजीविका ब्यूरो दोनों मिलकर श्रमिकों व कारीगरों के पंजीयन कर रहे हैं।

आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने पिछले साल निर्माण काम से जुड़े श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाया था। श्रमिक कल्याण बोर्ड का मकसद मकान व अन्य निर्माण के काम करने वाले श्रमिकों कारीगरों, मिस्त्रियों, हेल्पर इत्यादि को अलग अलग प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।

राजस्थान के सभी 18 से 58 वर्ष के महिला–पुरुष जो बेलदारी, चिनाई कारीगरी, सेन्ट्रिंग, बिजली फिटिंग, नल फिटिंग, ईंट, सड़क, पुल, तालाब आदि बनाने वाले, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, कुए खोदने आदि काम करने वाले श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। पिछले एक वर्ष में 90 दिन से अधिक निर्माण काम किया हो।

फिलहाल इसमें चार तरह की योजनाएं लागू हो गई हैं। कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए मजदूरों को दुर्घटना पर तत्काल सहायता, बीमा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, व प्रसूति सहायता दी जा रही है। इसके अलावा मकान बनाने हेतु ऋण, बुढ़ापे में पेंशन, बेटी के विवाह में मदद जैसी कई फायदे की योजनाओं के लागू होने की तैयारी चल रही है।

अभी ये योजनाएं लागू हैं

*1. **कार्य के दौरान दुर्घटना :–** मृत्यु होने पर 10 हजार रुपए की तुरंत सहायता। गंभीर घायल होने पर 5 हजार व सामान्य घायल होने पर 1 हजार रुपए की सहायता।*

*2. **समूह बीमा :–** सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रुपए की सहायता। स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रुपए की सहायता।*

*3. **शिक्षा सहायता :–** निर्माण श्रमिक के बच्चों व पत्नी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। यह राशि 500 से लेकर 4 हजार रुपए तक की है।*

*4. **प्रसूति सहायता :–** महिला श्रमिक के 20 वर्ष की उम्र के बाद प्रसूति (डिलेवरी) होने पर दो प्रसव तक 6–6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त नही होने पर 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता।*

ये सभी लाभ तभी मिलेंगे जबकि श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हों। श्रमिक को हर साल का वार्षिक शुल्क 60 रुपए जमा कराना भी जरूरी है। तभी वह श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य माना जाएगा।

कैसे कराएं श्रमिक बोर्ड में पंजीयन

बोर्ड में पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र है। यह श्रम विभाग से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ये आवेदन पत्र श्रम विभाग ने कुछ संस्थाओं और श्रमिक संगठनों को भी दिए हैं। ब्यूरो के श्रमिक सहायता एवं सन्दर्भ केन्द्रों पर बोर्ड के पंजीकरण के आवेदन पत्र उपलब्ध हैं।

तीन रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो व निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण साथ में लगाना होता है। इसमें श्रमिक परिचय पत्र या किसी श्रमिक संघ का सत्यापन करवाना होता है। अपने वर्तमान मालिक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी मान्य है। साथ ही 25 रुपए आवेदन शुल्क एवं 60 रुपए वार्षिक अंशदान जमा करवाना होता है। श्रमिक को वार्षिक अंशदान के हर वर्ष 60 रुपए जमा करवाने होंगे।

श्रमिक को आवेदन शुल्क एवं वार्षिक अंशदान 85 रुपए की रसीद मिलेगी। साथ ही कुछ दिन बाद श्रमिक को श्रम विभाग की ओर से एक पास–बुक भी मिलेगी। पास–बुक में श्रमिक का फोटो, नाम, पता, परिवार के सदस्यों के नाम एवं वार्षिक अंशदान व योजनाओं की जानकारी छपी होती है।

आजीविका ब्यूरो में जून 2011 तक

बीमा	बैंक खाते
1574	1063
यूनाइडेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी की जनता बीमा दुर्घटना बीमा पॉलिसी है।	श्रमिक परिचय पत्र के आधार पर श्रमिकों के जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खुले हैं।

नौजवानों की कलम

जिन्दगी बदल दी

गोगुन्दा तहसील के रावछ, चित्रावास, जोरिया, रिछवडा गांव शिक्षा, रोजगार, जागरूकता, स्वास्थ्य से बहुत पिछड़े हुए हैं। इन युवाओं के लिए 25 से 29 जुलाई तक जीवन कौशल प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा। यह प्रशिक्षण स्टेप एकेडमी द्वारा आयोजित था। उदयपुर में हुए इस प्रशिक्षण का नाम 'मेरी दुनिया' था।

इस प्रशिक्षण में हमें विभिन्न रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी मिली। निर्माण काम से जुड़े विभिन्न सामानों को जानने, मोलभाव करने व गुणवत्ता की जानकारी मिली।

आधुनिक दुनिया की वास्तविकता पूंजी से है। आदमी जो पैसा कमाता है, कमाने की अच्छा हुनर उसके पास है। सब उसे मान–सम्मान देते हैं। वहीं बेरोजगार गरीब का कोई महत्व नहीं देता है। हम सभी को कोई हुनर सीखकर कमाना चाहिए।

हमें अपनी कमाई में से बचत भी करनी चाहिए। प्रशिक्षण में समय का भी महत्व बताया गया। गुजरा समय वापस नहीं आता है। सोचते रहने की बजाय तुरन्त काम करें। मेरी दुनिया में हमें बहुत अच्छी–अच्छी कहानियां सुनाई जोकि हमने पहले कभी नहीं सुनी। इन कहानियों से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। हम सब को अपनी बात कहने का, बोलने का खूब मौका दिया गया। इससे हमारी झिझक दूर हो गई।

हम सभी 31 साथी पहली बार उदयपुर शहर में आए थे। प्रशिक्षण के दौरान ही हमें राजीव गांधी गार्डन, नीमच माता मंदिर, पिछोला झील, विद्या भवन कॉलेज आदि जगहों पर जाने का अवसर मिला।

इस तरह के कार्यक्रम हमारे लिए कभी नहीं होते हैं। हम गांव में ही रहते है।। शहरों में क्या हो रहा है। कौनसी चीज कहां है। हमें पता ही नहीं चलता। भविष्य के बारे में अधिक सोचते नहीं हैं। बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। आगे कोई ढंग का काम नहीं कर पाते हैं। इस तरह हम लोग पिछड़ जाते हैं।

'मेरी दुनिया' नाम का यह प्रशिक्षण मेरे जैसे युवाओं के लिए एक किरण की तरह रहा है। हमारा काफी आत्मविश्वास बढ़ा है। यदि इस तरह का प्रशिक्षण हमें नहीं मिलता तो शायद हम लक्ष्य से भटक जाते। मुझे लगता है अब हमें एक दिशा मिली है। 'मेरी दुनिया' ने हमारी जिन्दगी बदल दी। **–रंगलाल गमेती, युवा फैलो, सायरा, गोगुन्दा**

हुनर लेकर काम करें

हाथ में कोई हुनर हो तो अच्छा कमा सकते हैं। वरना बगैर हुनर के तो कड़िया काम ही करना पड़ता है। सारी कमाई तो खर्चे में ही चली जाती है। बचत के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं बचा सकते हैं।

मैं तो सभी से कहना चाहता हूं कि बाहर कमाने जाएं तो हाथ में कोई हुनर जरूर होना चाहिए। मैं अपने हैण्डिक्राफ्ट से जुडे हुनर के कारण ही जयपुर में कुछ पैसे बचा पा रहा हूं। **–शंकर सिंह खराड़ा, सरवाड़, अजमेर**

गुल्लक है काम की

गोगुन्दा तहसील के ओबरा खुर्द का नानालाल ब्यावर में चिनाई मिस्त्री का काम करता है। इनकी पत्नी व बच्चे गांव में ही रहते हैं। एक दिन घर पर बच्चा खेलते हुए जल गया।

नानालाल की पत्नी पर अचानक से बच्चे के इलाज की मुसीबत आ पड़ी। लेकिन वह जरा भी नहीं घबराई। वह अपने पास बचत के लिए गुल्लक रखती थी। गुल्लक में थोड़ी–थोड़ी बचत करती रहती।

तभी उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी। इसमें आठ सौ रुपए इकट्ठे थे। बस फिर क्या था, बच्चे का इलाज शुरू हो गया। ना तो नानालाल को तुरन्त ब्यावर से दौड़कर आना पड़ा। ना ही नानालाल की पत्नी को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। **–दिलीप गमेती**

युवाओं के लिए नए प्रशिक्षण

स्टेप एकेडमी ने युवाओं के लिए आगे तीन महीनों में होने वाले प्रशिक्षणों की सूचना घोषित की है। इन प्रशिक्षणों से देश के किसी भी इलाके में रहने वाले इच्छुक ग्रामीण युवा जुड़ सकते हैं। ये सभी प्रशिक्षण उदयपुर में ही होंगे। स्टेप एकेडमी में ही आवास व भोजन की व्यवस्था है। प्रशिक्षण के लिए 800 से लेकर 1500 रुपए तक का शुल्क रखा गया है। स्टेप एकेडमी आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित है। इसका पूरा नाम स्किल ट्रेनिंग एंप्लायविलिटी एण्ड प्लेसमेन्ट एकेडमी है।

प्रशिक्षण का नाम	शुरू दिनांक	अवधि	कुल सीटें	शिक्षा
1. प्लम्बिंग	16 सितम्बर	30 दिन	20	5वीं
2. टैली अकाउन्टिंग	16 सितम्बर	26 दिन	20	12वीं
3. मोटर वाइन्डिंग	22 सितम्बर	30 दिन	20	5वीं
4. प्लास्टर व पीओपी	11 अक्टूबर	15 दिन	15	5वीं
5. मार्बल व टाइल फिटिंग	18 अक्टूबर	30 दिन	20	5वीं
6. मोबाइल रिपेयरिंग	18 अक्टूबर	26 दिन	20	10वीं
7. हाउस वायरिंग	17 नवम्बर	30 दिन	20	5वीं
8. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	17 नवम्बर	30 दिन	20	12वीं
9. असिस्टेंट कुक	24 नवम्बर	26 दिन	20	5वीं

संपर्क फोन : 9214203401, 9828949684

गांवों से क्या आस

गांवों में अब कोई काम ही नहीं है। केवल बरसात के मौसम में चार माह खेती का काम होता है। बाकी आठ महीने में तो हाथ खर्च के पैसे भी नहीं मिल पाते हैं।

बाहर शहरों में जाकर मजदूरी करने वाले लोग खुश हैं। वे अपना खर्चा निकालकर कुछ न कुछ बचत तो कर ही लेते हैं। हम जैसे गांव में रहने वालों को तो घर खर्च के लिए भी उधार लेना पड़ जाता है। **–हेमराज सिंह खंगारोत, गांव सणोदिया, तहसील मालपुरा जिला टोंक**

धनराज सिंह ने अपने ये विचार अन्ना हजारे के अनशन के समय लिखे थे। अन्ना की मांगों पर सरकार ने भरोसा दिलाया है। अब यह अनशन समाप्त हो चुका है।

नौजवानों की कलम

यही मौका है...

भ्रष्टाचार ने आज भारत की जड़े खोखली कर दी है। जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार से आम आदमी तंग आ गया है। हर रोज नए घपलों को उजागर होते देखकर लगता है कि मंत्री, नेता व अधिकारी सभी अपना घर भरने में लगे हुए हैं। राशन की दुकान से लेकर खेल के मैदान तक सब के सब भ्रष्टाचार की चपेट में आ रहे हैं। सरकार एवं प्रशासन इस भ्रष्टाचार को रोक पाने में सफल नही हो पा रहे हैं। सफल हों भी तो कैसे ? घोटालों की जांच करने वाले खुद फंसे हुए हैं।

ऐसे में देश के हर एक नागरिक के मन में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जाग उठी है। भ्रष्टाचार ने दुनियाभर में भारत की छवि को बिगाड़ने का काम किया है। भारत में इस बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने एवं दोषी को सजा दिलाने हेतु एक नई व्यवस्था पर बातचीत की जा रही है। यही व्यवस्था है लोकपाल।

लोकपाल विधेयक के बारे में चर्चा पिछले काफी समय से जोरों पर है। आज हर एक पढ़े–लिखे नागरिक के मुंह से लोकपाल विधेयक के बारे में सुना जा सकता है। सरकार, लोकपाल को प्रधानमंत्री के नीचे रखना चाहती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्त्ता अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल को स्वतंत्र एवं मजबूत बनाने हेतु आन्दोलन चलाया जा रहा है। आन्दोलन से जुड़ा हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को लोकपाल के नीचे रखने की मांग कर रहा है। अन्ना हजारे चाहते हैं कि लोकपाल शाक्तिशाली बने। वह बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को सजा दिला सके। अगर प्रधानमन्त्री ईमानदार है तो फिर सरकार प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात पर क्यों डर रही है।

अन्ना हजारे ने जब अप्रेल में भ्रष्टाचार के विरोध में अनशन किया तो जल्द ही वह राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया। इस आंदोलन से डरी सरकार ने उस समय तो एक मजबूत लोकपाल विधेयक बनाने पर सहमति जता दी। आन्दोलनकारियों से हाथ मिलाकर अन्ना के सुझावों पर राजी हो गई थी। लेकिन आज वही सरकार अपनी बात पर पलटती नजर आ रही है। अन्ना के बनाये मसौदे को एक तरफ रखकर खुद के बचने का रास्ता अपना रही है। सरकार चाहती है कि लोकपाल बनना तो चाहिए लेकिन राशन की दुकान, आरटीओ, पासपोर्ट कार्यालय, पंचायतें और नगरपालिकाएं उसके दायरे में नही आएं। प्रधान–मंत्री तो बहूत दूर की बात है।

इसके लिए सरकार ने सरकारी लोकपाल विधेयक बनाया है। यह संसद में अब तक नौ बार पेश किया जा चुका है। हर बार सरकार अपने बचने का रास्ता निकालती नजर आ रही है। वे चाहते हैं कि अगर मजबूत लोकपाल बन गया तो फिर कैसे होगी नेताओं की ऊपर की कमाई। कैसे निकलेगा चुनाव की दौरान किया जाने वाला अंधाधुन्ध खर्चा।

16 अगस्त को अन्ना के अनशन को रोकने के सरकारी प्रयास ने तो इस आन्दोलन को और मजबूती प्रदान की है। लोग सरकारी लोकपाल विधेयक के विरोध में सड़कों पर निकल आए हैं। कहीं पर अपने सर मुड़वा कर अन्ना के नाम लिखवाए जा रहे हैं तो कहीं अन्ना के समर्थन में बंद रखा जा रहा है।

हमारे पास भ्रष्टाचार से लड़ने का यही मौका है। इस मौके पर हम सब कन्धे से कन्धा मिलाकर देश में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पास करवाने में आगे आएं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो फिर भ्रष्टाचारी हमें जीवन भर सोने नही देंगे। फिर तो हो सकता है हमें पीने का पानी भी रिश्वत देकर मिले।

–धनराज सिंह दरोगा, खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

हाय–हाय ये मजबूरी

छब्बीस साल के कारीगर लालराम दरोगा का कहना है कि घर के बाहर रहना हमारी मजबूरी है। अगर हम घर छोड़कर बाहर कमाने नहीं जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा ? जयपुर में हम चार लोग एक साथ रहते हैं। एक छोटे से कमरे के दो हजार रुपए देने पड़ते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती। तब जाकर तीन हजार रुपए घर भेज पाते हैं। **–लालाराम दरोगा, गांव सदापुर, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर**

अपने पैरों पर खड़े हुए

हम गांव में ही खेती करते थे। कभी कभार दो–तीन महीने के लिए बाहर मजदूरी करने चले जाते थे। हमने आजीविका ब्यूरो से एक महीने तक हाउस वायरिंग का काम सीखा।

अब हमारा ध्यान ठीक से हाउस वायरिंग पर पड़ गया है। अब हम घरों की बिजली फिटिंग कर लेते हैं। बिजली सुधार लेते हैं। हमारे पास लगातार मकानों पर बिजली फिटिंग का काम मिलता रहता है। हम बोरवेल वाली मोटर भी लगाते हैं।

यह सीख हमारे रोजगार को बढ़ाने में फायदे की रही है। अब हमें अच्छी आमदनी हो रही है। पहले तो हम ऐसे ही गांव में घूमते रहते थे। अब काम की कमी नहीं है। **–अशोक कुमार गरासिया व प्रकाश चंद गरासिया, गांव चित्तौड़ा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर**

सीखने का अवसर

घर से दूर जाकर काम करने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। घरवालों को अधिक चिन्ता होती है। इसलिए वे बार–बार फोन करके हाल जानते रहते हैं। बाहर रहने पर कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।

हां ये जरूर है कि बाहर जाकर हमें नए लोग मिलते हैं। नई–नई बातें सीखने का अवसर मिलता है। मैं पहली बार घर से दूर नागौर जाकर काम कर रही हूं। **–रजिया बानो, गांव लल्लाई, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर**

आजीविका ब्यूरो में जून 2011 तक

युवाओं को प्रशिक्षण व नौकरी

3179

- अब तक कुल 108 बैच प्रशिक्षण के हुए हैं। इनमें 1620 युवाओं ने काम सीखा, फिर काम पर लगे।
- इसके अलावा ब्यूरो ने 1559 युवाओं को सीधे काम से जोड़ा है।

महिलाओं ने बताई योजनाओं की सच्चाई

नरेगा योजना में मजदूरी करने के कई महीनों बाद अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। काम के लिए आवेदन करते हैं, तो रसीद नहीं मिलती है। विधवा पेंशन के लिए आठ महीने पहले आवेदन करने के बाद भी पेंशन शुरू नहीं हुई है।

इस प्रकार की शिकायतें उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील के प्रवासी परिवारों की महिलाओं ने की। यहां के बरवाडा गांव में श्रमिक सहायता केन्द्र गोगुन्दा की ओर से पिछले महीने महिला सम्मेलन किया गया था। सम्मेलन का मकसद महिलाओं का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव में आ रही समस्याओं को प्रशासन के ध्यान में लाना था।

सम्मेलन में गोगुन्दा तहसील की ढूण्ढी, करदा, पानेर, गुन्दाली, तिरोल व रावलिया खुर्द की 400 से अधिक महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। ये सभी महिलाएं वे हैं जिनके घर से पुरुष सदस्य मजदूरी के लिए गुजरात व महाराष्ट्र गए हुए हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं की महिलाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने व जोड़ने की जिम्मेदारी का बीड़ा श्रमिक सहायता केन्द्र ने उठाया है। केन्द्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों के परिवार की महिलाओं के समूह बनाकर योजनाओं से जुड़ाव करवाया जा रहा है। केन्द्र ने करीब 2 हजार महिलाओं को अब तक 9 तरह की योजनाओं से जोड़ा है। इनमें नरेगा, जननी सुरक्षा, विधवा व विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पालनहार, बच्चों के टीकाकरण व सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं खास हैं।

सम्मेलन में जिला परिषद के सहायक कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी अतुल जैन ने महिलाओं की शिकायतें सुनी। शीघ्र समाधान करने का भरोसा भी उन्होंने दिया।

विश्वास की जीत

“म्हारों मामलो तो केन्द्र रे ऊपर छोड़ दी दो है, आप जो करो वा ई ठीक है”। श्रमिक सहायता केन्द्र पर ऐसे भरोसा जताया भंवरलाल तथा भूराराम भील ने। ये दोनों राजसमंद जिले की कुम्भलगढ तहसील के कोडाकडा गांव में रहते हैं। दोनों चिनाई कारीगर हैं।

इसी गांव के गणेश ने अपने मकान का काम इनको ठेके पर दिया। ठेका 26 हजार रुपए में तय हुआ। गणेश ने बीच में 16 हजार रुपए का भुगतान कर दिया। काम खतम होने पर बाकी 10 हजार रुपए देने में गणेश आनाकानी करने लगा। भुगतान नहीं होने के कारण दोनों परेशान थे। इनके साथ जिन मजदूरों ने काम किया वे अपनी मजदूरी मांगने लगे। इन्होंने भारी ब्याज पर कर्जा लेकर उनकी मजदूरी चुकाई।

फिर एक दिन भंवरलाल व भूराराम ने केलवाड़ा श्रमिक केन्द्र पर अपनी आपबीती बताई। दोनों ने केन्द्र द्वारा संचालित परशुराम चिनाई कारीगर संगठन में अपना विवाद दर्ज करवाया। फिर भी गणेश ने मजदूरी भुगतान करने से साफ मना किया।

केन्द्र ने विवाद श्रम अदालत में पहुंचा दिया। अदालत का फैसला होने पर भी गणेश ने बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया। फिर केन्द्र कार्यकर्ता सलाहकार समिति, संगठन के सदस्यों व गांव वालों के साथ गणेश के घर पर गए। सभी ने तय किया कि भुगतान के बाद ही यहां से उठेंगे। बढ़ते सामाजिक दबाव के कारण गणेश ने दोनों कारीगरों से सभी के सामने माफी मांगते हुए 10 हजार रुपए उनके हाथों में दे दिये। आखिरकार लम्बे संघर्ष के बाद कारीगरों के विश्वास की जीत हुई।

–धर्मराज गुर्जर

आजीविका ब्यूरो के श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केन्द्रों के पते व फोन नम्बर दिए जा रहे हैं। आप इन केन्द्रों पर संपर्क कर, ब्यूरो की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

उदयपुर (शहर) 14, पानेरी उपवन, टेलीफोन एक्सचेंज की गली, बेदला रोड, उदयपुर (राज.) दूरभाष : 9414471011

गोगुन्दा (उदयपुर) तहसील कार्यालय के सामने, गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.) दूरभाष : 02956–282716

सायरा (उदयपुर) चारभुजाजी का मंदिर, सायरा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.) दूरभाष : 9610567335

बरवाडा (उदयपुर) बस स्टेण्ड, उदयपुर रोड, बरवाडा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.) दूरभाष : 9783142785

सलूम्बर (उदयपुर) चुंगी नाका, उदयपुर रोड, सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.) दूरभाष : 02906 230886

भबराना (उदयपुर) सेवकों का मौहल्ला, भबराना, तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.) दूरभाष : 9414418795

खेरवाडा (उदयपुर) तहसील रोड, बस स्टैण्ड के पास, खेरवाडा जिला उदयपुर दूरभाष : 9649039217

कोटडा (उदयपुर) केन्द्रीय कारागार रोड, कोटडा जिला उदयपुर (राज.) दूरभाष : 02958–290049

केलवाडा (राजसमंद) पोस्ट ऑफिस के पास, केलवाडा जिला राजसमंद (राज.) दूरभाष : 02954–242500

खमनोर (राजसमंद) रक्त तलाई के सामने, बस स्टैण्ड रोड, खमनोर जिला राजसमंद (राज.) दूरभाष : 7568780960

रेलमगरा (राजसमंद) कपासन रोड, बस स्टैण्ड के पास, रेलमगरा जिला राजमसंद दूरभाष : 02952–267620

आसपुर (डूंगरपुर) विश्वकर्मा मंदिर के सामने, बांसवाडा रोड, आसपुर जिला डूंगरपुर दूरभाष : 02967–221151

जयपुर (राजस्थान) 219, मारुति नगर, एयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर (राज.) दूरभाष : 0141–2790556

अहमदाबाद (गुजरात) 8बी, माथेरान सोसायटी, भगवान नगर का टेकरा के पास, महालक्ष्मी पांच रास्ता, पालड़ी, अहमदाबाद (गुजरात) दूरभाष : 079–26670441

ईडर (गुजरात) 3, श्रीनगर सोसायटी, सिटी सर्वे ऑफिस के पास, ईडर, जिला साबरकांठा दूरभाष : 02778–250377

कानूनी दिवस

ब्यूरो के श्रमिक सहायता केन्द्रों पर हर महीने कानूनी दिवस तय कर रखा है। इस दिन मजदूरों के विवाद दर्ज किए जाते हैं। विवादों की सुनवाई की जाती है। इन तारीखों पर कानूनी सलाहकार केन्द्र पर मौजूद होते हैं।

हर महीने	स्थान
7 तारीख	बरवाडा
14 तारीख	गोगुन्दा
15 तारीख	सायरा
18 तारीख	सलूम्बर
20 तारीख	खेरवाडा
25 तारीख	केलवाडा
29 तारीख	आसपुर

अगर किसी मजदूर को विवाद दर्ज करवाना हो तो वह इस दिन केन्द्र पर आए। साथ में विवाद से जुड़े सभी कागजात, सबूत, हाजरी व हिसाब आदि साथ में लाना ना भूलें।

छोटी सी नादानी से हुई बड़ी हानि

अगर गगली बाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती तो उसके परिवार को बीमा की एक लाख रुपए की राशि मिल जाती। 45 साल की गगली बाई की सांप के काटने से मौत हो गई थी। वह उदयपुर जिले में गोगुन्दा तहसील में रहती थी।

खेत में सांप के काटते ही घरवाले उसे तुरन्त जीप में लेकर उदयपुर के लिए दौड़े। किन्तु रास्ते में ही गगली बाई ने प्राण त्याग दिए। बीच रास्ते से ही वापस गांव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

गगली बाई ने श्रम सारथी कंपनी से एक लाख रुपए की जनता दुर्घटना बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। इस घटना की सूचना मिलते ही कंपनी अधिकारी ने फुर्ती दिखाते हुए गांव जाकर संपर्क किया।

कंपनी अधिकारी को जब ये मालूम चला कि गगली बाई का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ना ही पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है तो वह मायूस हो गया। बीमा के एक लाख रुपए तभी मिल सकते थे जब पोस्टमार्टम हुआ हो।

गगली बाई ने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया, ये काफी मायने रखता है। वरना बीमा को तो लोग फालतू खर्चा समझते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बीमा करवाने से कोई फायदा नहीं है।

वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीमा के जरिए ही परिवार का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं क्या पता कभी हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाए।

वहीं अपने बीमा की सारी जानकारी अपने परिवारवालों को हो ये भी बेहद जरूरी है। वरना गगली बाई की तरह बीमा होने के बाद भी कोई फायदा नहीं। —प्रकाश वैष्णव

क्या है जनता बीमा योजना ?

जनता दुर्घटना बीमा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की एक दुर्घटना बीमा

बीमा राशि	प्रीमियम
25 हजार	रुपए 15
50 हजार	रुपए 30
75 हजार	रुपए 45
एक लाख	रुपए 60

पॉलिसी है। यह पॉलिसी विशेष रूप से ग्रामीण गरीब मजदूरों के लिए है। इसका प्रीमियम काफी कम है।

बीमाधारी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मौत हो जाने पर बीमा रकम कंपनी द्वारा दी जाएगी। वहीं दुर्घटना में शरीर का कोई अंग खराब होने पर भी कुछ राशि दिए जाने की व्यवस्था है।

दुर्घटना में दंगा, हड़ताल, आतंकवाद, बिजली करंट तथा सांप के काटने को भी शामिल किया जाएगा।

भाया पैसा बैंक से ही भेजना

उदयपुर के गोगुन्दा निवासी बंशीलाल मुम्बई में प्लास्टिक कारखाने में काम करता था। वहां उसके साथ गांव के आठ युवा साथी भी थे। 22 साल का बंशीलाल एक दिन अपने सभी साथियों से पैसे इकट्ठे कर घर पहुंचाने के लिए मुम्बई से निकला।

बंशीलाल के पास 25 हजार रुपए थे। ये रुपए सभी साथियों की पसीने की कमाई थी। रास्ते में किसी ने बंशीलाल की जेब से रुपए निकाल लिए। इससे घबराकर बंशीलाल वापस मुम्बई भाग गया।

***

ऐसा ही एक मामला गणेश गमेती का है। इनकी 30 साल की उम्र है। ये सूरत में साडी कटिंग का काम करते हैं। गणेश का परिवार गोगुन्दा के जोजरिया गांव में रहता है। गणेश रिश्तेदार या दोस्त के साथ सूरत से अपने घर पर पैसा भिजवाता रहता था। कुछ महीनों पहले गणेश की पत्नी बीमार हो गई थे। घर के अन्य सदस्यों ने उसे उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया।

सूरत में काम की वजह से गणेश उदयपुर नहीं आ सका। अपने रिश्तेदार के साथ उसने इलाज के लिए 8 हजार रुपए घर भिजवाए। रिश्तेदार ने घर पर रुपए नहीं दिए। वह बोला रास्ते में उसके रुपए व सामान चोरी हो गए। वहीं गांव के कुछ लोगों ने बताया कि यह आदमी पहले भी ऐसी गड़बड़ियां कर चुका है। इसके कोई रुपए चोरी नहीं हुए हैं। ये बहाने बना रहा है। काफी दबाव बनाने के बाद भी गणेश को उसके रुपए वापस नहीं मिल पाए।

***

ये तो चंद उदाहरण हैं। ऐसी अपने आसपास ना जाने कितनी ही कहानियां होंगी। ये सब कहानियां बताती हैं कि मजदूर को अपनी पसीने की कमाई घर तक पहुंचाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मीलों दूर से अपनी जेबों में, जूतों में छुपाकर घर रुपए लेकर आते हैं। घर पर तुरन्त जरूरत पड़ जाए तो किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ रुपए भेजने पड़ते हैं। ये तमाम तरीके जोखिम भरे हैं। इनमें कोई गारंटी नहीं कि मेहनत की कमाई सुरक्षित घर तक पहुंच सके।

केवल एक तरीका है जिससे कि पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। वह है अपना बैंक खाता। हर मजदूर को चाहिए कि वह बैंक में खाता खुलवाए। अब तो बैंक में देशभर में कहीं भी पैसा जमा करवाया जा सकता है। साथ ही कहीं भी पैसा निकाला जा सकता है। बैंक खाते से ही बंशीलाल, गणेश और इनके जैसे अनेकों साथियों की मजदूरी सुरक्षित बचकर घर पहुंच सकती है। —प्रकाश वैष्णव व कन्हैयालाल गमेती

राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा पेंशन योजना

अभी इंतजार करें

विश्वकर्मा पेंशन योजना की अंशदान राशि जमा कराने हेतु श्रमिक लगातार संपर्क कर रहे हैं। सरकार द्वारा वार्षिक राशि जमा करने पर अभी रोक लगाई हुई है।

आपको ज्ञात होगा कि खुली मजदूरी करने वालों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

सरकार ने इस योजना को केन्द्र सरकार की स्वावलम्बन योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है। इस कारण मार्च महीने से राशि जमा कराने पर रोक लगा दी गई थी।

इसी दौरान श्रम विभाग द्वारा सूचना आई है कि आप द्वारा पहले जमा की गई राशि व सरकार का अंशदान सरकारी खाते में सुरक्षित जमा है। फिलहाल स्वावलम्बन योजना को लागू करने की कार्यवाही चल रही है।

सरकार को चाहिए कि इस योजना को शीघ्र चालू किया जाए।

आजीविका ब्यूरो में जून 2011 तक

कानूनी मदद

973 विवाद दर्ज

519 समाधान

मुआवजा

48 लाख

ये सभी समाधान श्रमिक केन्द्रों ने मध्यस्थता के आधार पर किए हैं। कुछ मामले श्रम विभाग को भी दिए हैं।

करार से हो काम, तो ना हो तकरार

अगर खुली मजदूरी करने वाले व मालिक लिखा पढ़ी करके काम करें। तो मालिक व मजदूर के बीच होने वाली तकरार काफी कम हो सकती है। मालिक व मजदूर के बीच अधिकतर विवाद तभी पनपते हैं जब कोई लिखित करार नहीं हो। लिखित करार से दोनों पक्ष अधिक जिम्मेदार रहते हैं।

ऐसा मानते हुए गुजरात के सांबरकाठा जिले में खेत मालिक व मजदूरों ने लिखित करार करके ही काम शुरू करना तय किया है। इस साल कुल 1344 मजूदरों व मालिकों ने लिखित करार किए हैं। इसमें 334 मालिक हैं व 1010 मजदूर हैं।

भारत में कृषि कार्य में जब कोई नई व उन्नत तकनीक व किस्म की बात की जाए तो उत्तरी गुजरात की मिसाल जरूर दी जाती है। इसमें सांबरकाठा, मेहसाना, बनासकांठा व पाटन जिले मुख्य हैं। यह इलाका जमीन व पानी के लिहाज से संपन्न है।

लेकिन हम जरा इन खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर नजर डालें। खेती के लिए जितनी जरूरी जमीन व पानी है उससे भी कहीं अधिक मजदूर हैं। यहां हजारों मजदूरों की जरूरत बनी रहती है। इतने सारे मजदूर स्थानीय तो होंगे नहीं। तो सवाल उठता है कि बाकी मजदूर आते कहां से हैं ?

इसका जबाव है राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील से। कोटड़ा उत्तरी गुजरात से बिल्कुल सटी हुई तहसील है। हर साल यहां से करीब 3 हजार आदिवासी मजदूर गुजरात के खेतों में मजदूरी करने जाते हैं। इनके पास खुद की जमीनें हैं नहीं। रोजगार के अभाव में गुजरात पलायन करना ही आसान रास्ता लगता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ खेती के लिए रवाना हो जाते हैं।

गुजरात के खेत मालिकों को खेडूत कहा जाता है। वहीं इन मजदूरों को भागिया। मजदूरों को गुजरात में खेडूत फसल के भाग पर रखते हैं। ना कि देहाडी मजदूरी पर। देश में बटाई या भाग के बारे में अभी तक जो सामने आया है उसमें श्रमिक का एक चौथाई भाग सुना जाता है। किन्तु गुजरात में चौथाई तो दूर की बात है। यहां छठा व सातवां हिस्सा तय होता है।

एक और रिवाज है यहां। खेडूत काम पर रखने से पहले भागिया को कुछ राशि अग्रिम देता है। इस राशि को भागिया अपने विवाह, कर्जा चुकाने या मकान बनाने जैसे कामों में खर्च करता है।

खेडूत व भागिया के बीच कोई लिखा–पढ़ी होती नहीं है। सभी विश्वास व मौखिक अनुबंध पर ही चलता है। इसमें मजदूर की जिम्मेदारी केवल निश्चित जमीन पर खेती करना होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मजदूर व उसके परिवार को पशुओं का चारा, पानी पिलाना, नहलाना, गोबर उठाना व खेडूत के घर के काम करने पड़ते हैं। फसल पकने का समय आने पर खेडूत कोई विवाद खड़ा कर मजदूर को भगा देता है। या फिर पकी हुई फसल का सही बंटवारा नहीं होता। कोई लिखित दस्तावेज नहीं होने की वजह से कानूनी सहायता के भी सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में मजदूर बगैर अपनी भाग का उचित हिस्सा लिए अपने गांव लौट जाते हैं।

दूसरी तरफ खेडूत भी मजदूरों से परेशान रहते हैं। कई बार मजदूर अग्रिम लेने के बाद भी बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं। कई बार एक से अधिक जगह से अग्रिम ले लेते हैं। या फिर मजदूरों की कमी होने पर अधिक अग्रिम देना पड़ता है।

कुल मिलाकर दोनों ही स्थितियों में विवाद पैदा होता है। नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है। मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती। वही खेडूत पर भी फसल खराब होने का खतरा रहता है।

इस समस्या के समाधान पर विचार करते हुए श्रमिक सहायता केन्द्र कोटडा व ईडर ने मिलकर पहल ली है। श्रमिक केन्द्र का मानना है कि खेती जैसे खुले काम में भी लिखित करार महत्व रखता है। खेडूत व मजदूर दोनों पक्षों की जरूरत का ध्यान रखते हुए केन्द्रों ने लिखित करार तैयार किया। दोनों पक्षों की शर्तें इसमें शामिल की। भाग का हिस्सा, अग्रिम व काम की जिम्मेदारी इसके मुख्य पक्ष है। खेडूत व मजदूर दोनों को समझाने में खूब मेहनत लगी। आखिरकार काफी लोग इससे जुड़े हैं।

इस सबसे ये माना जा सकता है कि लिखित करार से तकरार में काफी कमी तो आएगी ही। साथ ही यदि विवाद होता भी है तो करार के आधार पर मिलकर बातचीत से हल निकलना आसान होगा। शायद यही वजह है कि खेडूत व मजदूर आगे से लिखित करार करना चाहते हैं।

लेबरलाईन
0294–2451124
मुसीबत में फंसे मजदूरों के लिए फोन सेवा

- वेतन मजदूरी न मिले
- मारपीट का शिकार हो
- काम पर बंधक बनाया गया हो
- काम पर दुर्घटना का मुआवजा न मिले

डरो मत – फोन करो

सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक

बुक पोस्ट

"आजीविका ब्यूरो" उदयपुर के लिए निदेशक द्वारा प्रकाशित एवं यूनिक प्रिन्टिंग प्रेस, उदयपुर द्वारा जनहित में मुद्रित एवं प्रसारित।

सलाहकार : राजीव खण्डेलवाल, हिम्मत सेठ, कैलाश बृजवासी, कृष्णावतार शर्मा

सम्पादन : जितेन्द्र जैन, कमलेश शर्मा

aajeevika bureau

आजीविका ब्यूरो

38, साइफन कॉलोनी, बेदला रोड, उदयपुर–313004 (राजस्थान)

फोन : 0294–245092 बेवसाइट : www.aajeevika.org

ईमेल : info@aajeevika.org